न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट किशनगढ

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 254/2018
पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

• किशना पुत्र रामा आयु बालिग जाति जाट निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. व अन्य

– वादीगण

बनाम

• रंगलाल पुत्र सोनीराम जाति जाट निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. व अन्य।

– प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र अविधिक, बखिलाफ कानून होने से निरस्त फरमाये जाने बाबत।

वकील प्रार्थी/वादी श्री इन्द्रेश कुमार
वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी श्री विजय पोषक

दिनांक 16/7/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 रंगलाल पुत्र सोनीराम जाट की ओर से अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने गै.मु. चाह (कुआ) खसरा नम्बर 121 से अपने स्वयं के खेत खसरा नम्बर 923/132 में सिंचाई हेतु एवं आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 रंगलाल के खेत खसरा नम्बर 120/3 में से 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहने बाबत धारा 251 (ए) रा.का. अधिनियम के अधीन अप्रार्थी संख्या 1 को तंग, परेशान, हैरान करने की नियत से बखिलाफ कानून अविधिक रूप से प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र कर रखा है जो निरस्तनीय है। राजस्व मानचित्र व जमाबन्दी अनुसार प्रार्थी किशना पुत्र रामा जाट के स्वयं के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 923/132 उक्त गै.मु. चाह (कुआ) खसरा नम्बर 121 के सनिकट, सटा हुआ, लगा हुआ (Adjoining) बदस्तूर अवस्थित है जो कि राजस्व मानचित्र एवं जमाबन्दी में स्पष्ट रूप से अंकित है। जब प्रार्थी का स्वयं का खेत खसरा नम्बर 923/132 उक्त चाह खसरा नम्बर 121 से बिल्कुल सटा हुआ, लगा हुआ (Adjoining) राजस्व नक्शा में अंकितानुसार अवस्थित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थी रंगलाल के खेत से किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि प्रार्थी किशना का स्वयं का खेत खसरा नम्बर 923/132 उक्त वर्णितानुसार उक्त चाह खसरा नम्बर 121 से बिल्कुल सटा हुआ, लगा हुआ, सनिकट (।करवपदपदह) बदस्तूर अवस्थित है इस कारण प्रार्थी का उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र बखिलाफ कानून, अविधिक होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व मानचित्र, जमाबन्दी की सत्यापित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है। अतः श्रीमान् की सेवामें अप्रार्थी रंगलाल की ओर से प्रार्थना पत्र राजक प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

उक्त वर्णितानुसार अविधिक, बखिलाफ कानून होने से मय विशेष हर्जे खर्चे के साथ तुरन्त खारिज फरमाने की कृपा करावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना का जवाब पेश नहीं सीधे ही बहस करने का निवेदन किया। दिनांक 11.06.2025 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थन पत्र पर बहस सुनी गई। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) में भूमि खसरा संख्या 1001/120 में से खसरा संख्या 121 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वर्तमान राजस्व रिकार्ड नक्शा खसरा संख्या 923/132 के अनुसार 923/132 की तरमीम खसरा संख्या 121 तक की गई है। खसरा संख्या 923/132 प्रार्थी की स्वयं की भूमि है जिससे प्रार्थी को खसरा संख्या 121 में आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध है। अतः वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) को सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16/7/25 को लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़